

14.11.19

पत्रावली पेश हुई। वकील जारी है। जारीगण
प्रकरण आगे चलाना नहीं चाहते हैं। वकील जारीगण
ने 'नोट प्रेस' कर प्रकरण खारिज करने का निर्णय
किया। चूंकि जारीगण जारीगण पत्र चलाना नहीं
चाहते हैं। अतः पत्रावली खारिज की जाती है।
मिसल फंसल श्रुमा होकर तब रं से काम की
आकर पखिल दफ्तर हो।

ay

